रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2006/वैशाख 15, 1928

No. 89] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2006/VAISAKHA 15, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 5 मई, 2006

सं. 8/35/2005-ई.एस.—जबकि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र ईराक अनाज के बदले तेल कार्यक्रम पर स्वतंत्र जांच समिति (वोल्कर समिति) की रिपोर्ट में यथा-उल्लिखित कतिपय संविदाओं के संबंध में अधिभार के भुगतान संबंधी असत्यापित संदर्भों की सत्यता अथवा अन्यथा स्थापित करने के लिए दिनांक 11 नवम्बर, 2005 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित संकल्प के द्वारा 'न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक जांच प्राधिकरण' स्थापित किया गया था;

और जबकि उक्त जांच प्राधिकरण को अपने निष्कर्षों को 6 मास की अवधि के अन्दर जब तक की सरकार द्वारा न बढ़ाई जाए, पूरा करना था और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी;

और जबकि उक्त जांच प्राधिकरण को अपना निष्कर्ष पूरा करने और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय प्रदान करना अनिवार्य समझा गया है;

अब इसलिए भारत सरकार 'न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक जांच प्राधिकरण' की समयावधि को 10 मई, 2006 से आगे तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाती है जिससे उक्त जांच प्राधिकरण अपनी निष्कर्ष को पूरा कर सके और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके।

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th May, 2006

No. 8/35/2005-E.S.—Whereas, the Government of India had set up 'Justice R.S. Pathak Inquiry Authority' vide Resolution published in the Gazette of India (Extraordinary) Part I, Section 1 on 11th November, 2005, to establish the truth or otherwise of the unverified references relating to payment of surcharge in respect of certain contracts as contained in the Report of Independent Inquiry Committee (Volcker Committee) on the United Nations Iraq Oil-for-Food Programme;

And whereas the said Inquiry Authority was to complete its findings and to submit its report to the Government within a time period of six months, unless extended by the Government;

And whereas it has been considered necessary to give some more time to the said Inquiry Authority to complete its findings and to submit its report to the Government;

Now, therefore, the Government of India extends the term of 'Justice R. S. Pathak Inquiry Authority' by three months beyond 10th May, 2006 to enable the said Inquiry Authority to complete its findings and to submit its report.

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

1370 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.